

SHRI NANDA : Sir, I move :

'That the Bill be passed.'

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.19 hrs.

INDIAN MEDICINE CENTRAL
COUNCIL BILL - (Contd.)

MR. CHAIRMAN : We shall now take up further consideration of the Indian Medicine Central Council Bill (*Interruptions*)

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : I want to make a few comments.

सभापति महोदय : At the third reading stage.

जितनी पार्टियाँ हैं सब कि सब बोल चुकी हैं इसलिये मैं मन्त्री जी को बुलाता हूँ। इसमें केवल 25 मिनट रह गये हैं, और सारा समय आप लोगों ने ले लिया है। अतः अब कोई ऐसी बात कहने को नहीं है जो न कही गयी हो। इसलिये आप की इजाजत से मैं मिनिस्टर को बुला रहा हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : Mr. Chairman, I thank the Members for taking very keen interest in a matter which is of great importance to our country. A matter like this should really excite the hon. Members to participate in the debate and also suggest changes which they may consider good for protecting and helping Ayurveda, Unani, Siddha and other systems of medicine for which this Bill had been brought before the House.

Sir, there were some difficulties, and therefore, the discussion on the Bill had been stopped for two days and then we met several hon. Members, especially hon. Members like Mr. Joshi, Mr. Lobo Prabhu, Mr. Kanwar Lal Gupta, Dr. Sushila Nayar and several others

SHRI KAMLANATHAN (Krishnagiri) : Not the DMK.

SHRI B. S. MURTHY : The DMK is all-pervading in the south.

AN HON. MEMBER : It is taken for granted. (*Interruption.*)

SHRI B. S. MURTHY : There was a difficulty here, and they wanted certain assurance to be given as far as the practitioners of the integrated system of medicine are concerned. They wanted one or two things to be done; they said that after five years of training, the students who pass out of these integrated institutions may automatically be treated as MBBS. We could not give any promise here, because the recognition is not in our hands. It is the Indian Medical Council which has to take up the matter. As a matter of fact, I can inform this hon. House that once when the 'integrated' persons wanted to become equal to the MBBS, we took up the matter with the Indian Medical Council and they were good enough to promise that after training of one and a half years and passing out of such an examination, they could be treated as DMS and entered in the allopathic list of doctors. After that period of one and a half years, if they persist, they could study and become fullfledged MBBS doctors. About this, we are not able to give any assurance, but the present system will be continued.

Today, all the lists have been combined, and, as a matter of fact, there are about 1,80,000 practitioners of Ayurveda, Unani, Siddha and the integrated system of medicine. All these are given in the second schedule. Now, a request has come to us that this list may be divided into two parts: one part should contain only those names who are institutionally trained,—

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : —recognised by the statute of a State Government or the Central Government.

SHRI B. S. MURTHY : Recognised under the statute of any State Government or the Centre. We have agreed to do this. Under the rule-making power, we want to do that. Now, the present list contained in the second schedule will be divided into two. One will consist only of persons who are

[Shri B. S. Murthy]

Institutionally trained and recognised by the State Government and the Centre.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : A statute of the State Government.

SHRI B. S. MURTHY : Law of statute.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Mostly from integrated medicine.

SHRI B. S. MURTHY : I will give you the proper wording. I am getting it typed out. I shall give you the proper wording. As far as I know, about 50,000 institutionally trained practitioners of Indian medicine are available today out of 1,80,000.

Therefore, one list will consist only of institutionally trained persons and recognised under the statute of the State and the other list will consist of the rest.

The third thing they wanted was this. Today certain State Governments have recognised certificates issued by some of these practitioners. The request is that the Centre also should try to reimburse money on the basis of those certificates. This matter is not entirely in the hands of the Health Ministry. This will be taken up with the Home Ministry and Finance Ministry.

I have got the actual wording now. It is like this : The second schedule will be divided under the rule making power into two parts : (1) Institutions recognised under statute by the State or Central Government. (2) The rest. Wherever certificates for reimbursement are recognised by the State Governments, efforts will be made to persuade the Home and Finance Ministries to recognise the same. Thirdly, students who are at present undergoing training in institutions will be allowed to have the same facilities that others are now enjoying.

The other amendments are verbal and they are not of consequence. Therefore, I appeal to hon. member to withdraw the other amendments. These three assurances given on behalf of the Government may be accepted as proof that we are anxious to accommodate all the people who are anxious to come within the purview of the Act.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for the constitution of a Central Council of Indian Medicine and the maintenance of a Central Register of Indian Medicine and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2—(Definitions)

श्री कंवरलाल गुप्त : चूंकि अभी मन्त्री महोदय ने एश्योरेंस दिया है और मुझे भी यह ख्याल है कि उस के कारण से जो इंटीग्रेटेड कोर्स के विद्यार्थी या डाक्टर हैं उन को काफी लाभ होगा और उन के जो ऐप्रिहेंशन हैं वह दूर हो जायेंगे, साथ ही चूंकि मैं चाहता हूं कि इस बिल के राज्य सभा में जाने में देर न हो जाये और यह आज ही पास हो जाये इस सदन में, इस लिये मैं अपने संशोधन वापस लेता हूँ।

SHRI LOBO PRABHU : Sir, we have tried for three days through four meetings to protect the integrated medicine. I can only hope that this assurance of Government is a real one and will not be defeated by other interpretations at a later stage. Integrated medicine today is the backbone of service in rural India. If you are fair by them, you will be satisfying the rural masses. Remember that while you M.B.B.S., M.D., M.S., etc. are in towns, it is only integrated medicine which is serving the people in the villages. If you keep faith with them, you are keeping faith with the people of rural India.

I am not moving my amendments.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani) : I beg to move :

10 Page 2, line 22, —

after "India" insert —

"having facilities for regular training and hospital attendance," (10)

MR. CHAIRMAN : Mr. Sreedharan is absent.

श्री शिव चन्द्र झा : क्लॉज 2 में और उसके भाग एक में आपने बताया है कि मंडी-

कल इन्स्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है। उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि आप यह लिख दें "हैविंग फेसिलिटीज फार रेग्युलर ट्रेनिंग एन्ड हासपिटल एटेंडेंट्स"। डिग्री डिप्लोमा यदि सरकार देगी और उस में अगर हासपिटल ट्रेनिंग की सुविधा नहीं होगी तो उसका क्या मतलब रह जायेगा ? इसलिए मेरा यह संशोधन है। यह कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा आप न कहें कि वह तो होता ही है। अगर होता ही है तो इसको आप स्पष्ट कर दें। ऐसी इन्स्टीट्यूशन आप को मिल जायेगी जो कहती होगी कि हम डिग्रियां देते हैं लेकिन यहां ये सुविधायें नहीं हैं। ऐसी हालत में अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। इसीलिए मेरा यह संशोधन है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप मान लें।

SHRI B S MURTHY : The Central Council which we are now appointing under this Act will look into these cases and will see that all institutions are provided with the institutional training and hospital beds etc. Therefore, I would request Shri Shiv Chandra Jha to withdraw his amendment.

श्री शिव चन्द्र झा : वह कहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। आप साफ क्यों नहीं इस में जोड़ देते हैं ? काम पक्का क्यों नहीं करते हैं। कच्चा क्यों कर रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN : I will now put amendment No. 10 by Shri Shiv Chandra Jha to the vote of the House.

Amendment No. 10 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Cause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(Constitution of Central Council)

SHRI RAM AVTAR SHASTRI (Patna) : I beg to move :

Page 3, line 3,—

add at the end—

"but in case of a contest, the election shall be held through secret ballot" (27)

Page 3, line 3,—

add at the end

"but in case of a contest, the election shall be held through secret ballot" (28)

Page 3, line 17,—

after "or" insert—

"at least ten years". (19)

Page 3, line 2.—

after "persons" insert—

"with recognised medical qualifications and" (35)

SHRI SHIV CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 3, after line 20, insert—

"(d) one representative of the students of such systems of medicine." (11)

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha) :

I beg to move :

Page 2, line 43:—

after "Council" insert—

"for each system of Indian Medicine" (59)

श्री शिव चन्द्र झा : सेंट्रल काउन्सिल जो कमेटी बनाएगी उसके सम्बन्ध में क्लॉज 3 में ए बी ओ सी में आपने कहा है कि कौन-कौन से सदस्य उस में लिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद डी जोड़ दिया जाए कि वन रिप्रिजेंटेटिव आफ दी स्टुडेंट्स आफ सच सिस्टम्ज आफ मैडीसिन। आप जानते ही हैं कि विश्वविद्यालयों में स्टुडेंट्स के पाटिसिपेशन की बात चल रही है। श्री मधु जी का विधेयक है जो डा० राव ने सक्थुलेट किया है कि विद्यार्थियों का कितना और किस प्रकार से उस में पाटिसिपेशन हो, कालेज और यूनीवर्सिटी को चलाने में कितना पाटिसिपेशन हो। जब और यूनिवर्सिटीज में यह बात चल रही है तो ये जो मैडीसिन के स्कूल और कालेज होंगे उन में भी यह बात क्यों लागू न हो ? यदि आप सेंट्रल काउन्सिल बनाते हैं तो उसके लिए यह जरूरी है कि विद्यार्थियों का भी एक रिप्रिजेंटेटिव

[श्री शिव चन्द्र झा]

आप उसमें लें। यही मेरा संशोधन है। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी की इन्टेग्रेटेड वाली बात बाद में आएगी। लेकिन यहां मैं चाहता हूँ कि उनका भी एक नुमाइंदा लिया जाए।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी चार छोटी-छोटी एमेंडमेंट्स हैं इस क्लोज में जिन को मैंने भूव किया है। पेज 3, लाइन तीन और आठ में इलैक्शन की बात की गई है। उस में मेरी एमेंडमेंट यह है कि इलैक्शन सीक्रेट बंट से किए जाएं। उसी तरह से पेज 3 लाइन 12 में एक्सपीरियेंस की बात की गई है। उस में मैंने यह कहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियेंस एट लीस्ट टैन थ्रीमॉन्थ इस में रखा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि दो महीने का या एक साल का किसी को नालेज या एक्सपीरियेंस हुआ तो उसको रख लिया जाए। उससे काम नहीं चलेगा। उससे कोई भला नहीं होगा। उससे रोगी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप स्पेसिफाई कर दें कि उसको 10 साल का एक्सपीरियेंस हो।

पेज 3 लाइन दो में मैंने यह कहा है कि आफ्टर परसंज, शब्द विद रिक्कगनाइज्ड मैडिकल क्लालिफिकेशंज जोड़ दिये जायें। इससे बात क्लीअर हो जायेगी।

ये मेरे चार संशोधन हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इनको आप स्वीकार कर लें।

श्री इसहाक संभली : हम देखते हैं कि यूनानी तिब्बती से बहुत नाइंसाफी की जा रही है। हम उम्मीद करते थे कि इस बिल के आने पर शायद इसके साथ इंसाफ होगा। लेकिन हमें देव कर ताज्जुब हुआ है कि इस बिल में भी वही तरीका अख्तयार किया गया है जिससे कि यूनानी तरीके इलाजको जो हमारे यहां बहुत ही पापुलर और अच्छा इलाज है और सन्ता इलाज भी है, इंसाफ न मिल सके। इसीलिए मैंने यह तरमीम पेश की है कि यह

जरूरी है कि इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए कदम उठाये जाये और कोशिश की जाए। यूनानी हिन्दुस्तान के मिजाज के मुताबिक है और यह किस कदर मुफीद है, इसको आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मिनिस्टर साहब खुद जा चुके हैं और जानते हैं कि यहां पर हमदर्द दवाखाने में कितना बड़ा यूनानी दवाओं का रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। उससे फायदा उठाना चाहिये। इसके बावजूद यूनानी तरीके इलाज के लिए कोई अलग काउंसिल नहीं रखी गई है। एक ही जगह कर दिया गया है। उधर होम्योपैथिक सिस्टम के लिए अलग काउंसिल बना दी गई है। मुझे इस में कोई एतराज नहीं है। वह अलग तरीकये इलाज है। इसी तरह से हमारे यहां भी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध यह अलग-अलग सिस्टम्स हैं। जरूरत है कि हर एक के लिए अलग कौंसिल होनी चाहिए ताकि वह पूरी तरह से तरक्की कर सकें और उन के साथ नाइंसाफी न हो सके। हम यह देखते हैं कि हमारे मेम्बर साहबान या मिनिस्टर साहब भी जब किसी लम्बी बीमारी में मुवातिला होते हैं तो यूनानी हकीमों के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और फायदा उठाते हैं। लेकिन जब जरूरत आती है यूनानी के साथ इंसाफ करने की तब उनका कदम नहीं उठता। आप मुन कर ताज्जुब करेंगे एक कमीशन बनाया गया था जिस का काम था कि वह देसी तरीकये इलाज के इन्स्टीट्यूशंस का विजिट करे, मुझे ताज्जुब है और मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब उस का जवाब दें, उस ने केवल दो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में विजिट किया, किसी भी यूनानी मतव को उन्होंने नहीं देखा। आज यूनानी कालेज एक-एक करके बन्द किए जा रहे हैं। जो हमारे मुल्क के लिए निहायत मुफीद चीज थी वह बन्द की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे संशोधन को मंजूर कर के इस नाइंसाफी को दूर किया जायगा और हर एक सिस्टम के लिए अलग-अलग

کونسل بنائی جائیگی۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سرکار یونانی سسٹم کو اور سیدھا سسٹم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ میں اپنے انڈیپنڈنٹ کو پیش کرتا ہوں۔

other hand, every effort will be made to see that Unani system develops ..

SHRI ISHAQ SAMBHALI : It is a very small Committee just like a sub-committee This is not sufficient.

SHRI B. S. MURTHY : It is not a question of big or small committee. The intention of the Government is to see that all the three systems which constitute Indian medicine are given sufficient support to have full growth. Therefore, I request the hon. Member not to separate Unani from the people of India. Let it not be said that Unani is not Indian. Unani is cent per cent Indian.

SHRI ISHAQ SAMBHALI : But it is a separate system.

SHRI B. S. MURTHY : Again, all the facilities that we provide for Ayurveda which is a dominant partner in this will be provided for Unani as well as Siddha. Therefore, nobody should have any grouse in this. So, I request the hon. Member to withdraw his amendment.

As regards Mr. Shiv Chandra Jha's amendment about students' representation in the Council, I think, it is too early for Mr. Jha or myself or anybody to think of giving representation on a Council like this which is charged with the task of formulating the syllabus, the studies and the courses in these systems. When time comes, I think, he will be available for bringing an amendment saying that students should also get membership here.

Then, with regard to the amendments moved by Shri Ram Avtar Shastri, they are for seeking more clarifications. They do not count as independent amendments. All clarifications which have become necessary have been given. Therefore, I request Shri Ram Avtar Shastri to withdraw his amendments. As a Ram Avtar, he must help me in passing this legislation. I, again, appeal to Ram Avtar to withdraw his amendments.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is a communist Ram Avtar.

MR. CHAIRMAN : Now, I put amendment No. 11 moved by Shri Shiv Chandra Jha to vote.

Amendment No. 11 was put and negatived

لشتری اسحاق سمبھالی اور دیگر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی سے نا انصافی کی جارہی ہے۔ ہم امید کرتے تھے کہ اس بل کے آنے پر شاہد اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ہمیں یونانی طریقہ علاج کے جو ہمارے یہاں بہت ہی پائڈر اور اچھی علاج ہے اور سیدھا علاج بھی ہے۔ اس کو انصاف نہ مل سکے۔ اس نے نے یہ ترمیم پیش کی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس نا انصافی کو دور کرنے کے ساتھ قدم اٹھائے جائیں اور کوشش کی جائے کہ یونانی ہندوستان کے علاج کے مطابق ہے۔ اس کے لیے ترمیم مفید ہے۔ اس کو آپ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہئے۔ شہر صاحب خود دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں یہ ہمدرد دو اور احسان

یہ کتنا بڑا یونانی اور فی کس ریجسٹریشن ہے۔ اس سے نا انصافی چاہئے۔ اس کے باوجود یونانی طریقہ علاج کے لئے ایک کونسل نہیں رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے لئے اعتراض نہیں ہے۔ وہ ایک علاج ہے۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں بھی آئیور ایک۔ یونانی۔ سیدھا۔ ایک ایک سسٹم میں ضرورت ہے کہ ہر ایک کے لئے ایک کونسل بنائی جائے تاکہ وہ پوری طرح سے ترقی کر کے ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہو سکے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ ہاؤس

یا مسٹر صاحب کی کمی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یونانی تعلیم کے پاس جو جاتے ہیں۔ علاج کراتے ہیں اور نا انصافی ہے۔ لیکن جب ضرورت ہوتی ہے یونانی کے ساتھ انصاف کرنے کی جب ان کا قدم نہیں اٹھتا۔ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ایک کیشن بنایا گیا تھا۔ جس کا کام تھا کہ وہ دس طریقہ علاج کے اسٹیٹیشنز کا ڈیٹا کرے۔ لیکن تعجب ہے کہ میں چاہوں گا کہ شہر صاحب اس کا جواب دیں۔ اس نے صرف دو آئیور ڈیپارٹمنٹس میں ڈیٹا کیا کسی بھی یونانی طب میں انھوں نے نہیں دیکھا۔ آج یونانی کا یہ ایک ایک کر کے

ہم دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہے۔ اسے سید جیڑن اور لال چندر جی ہے۔ وہ بند کی جارہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سسٹم وہیں منظور کر کے اس نا انصافی کو دور کیا جائیگا اور ہر ایک سسٹم کے لئے ایک کونسل بنائی جائیگی۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرکار یونانی سسٹم کو اور سیدھا سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ میں اپنے انڈیپنڈنٹ کو پیش کرتا ہوں۔

SHRI B. S. MURTHY : I do not agree with the hon. Member who spoke last that Unani is not Indian. It is Indian. Therefore, we call it an Indian medicine. We do not want to have three Councils, one for Ayurveda, the other for Siddha and another for Unani. But we have given separate committees which are autonomous more or less. So, no harm will be done. On the

MR. CHAIRMAN : I will now put all the amendments to the vote of the House.

Amendments Nos 27 to 29, 35 and 59 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4, 5 and 6 were added to the Bill

Clause 7—(*Term of Office of President, Vice-President and Members of Central Council*)

SHRI SHIV CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 4, line 4,—

after "nominated" insert—

"within three months" (12)

Page 4, line 18,—

after "shall" insert—

"not" (13)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move :

Page 4, lines 3 or 4,—

"omit", or until his successor shall have been duly elected or nominated, whichever is longer" (30)

श्री शिव चंद्र झा : सभापति महोदय, इसमें यह दिया है :

"The President, a Vice-President or a member of the Central Council shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination as the case may be, or until his successor shall have been duly elected or nominated, whichever is longer."

इसमें विधेवर के पहले मैं चाहता हूँ कि विदिन श्री मंथस बढ़ा दिया जाय मेरा कहना यह है कि जो उसका टर्म है उसके पहले जगह खाली हो जाती है तो प्रेसीडेंट या वाइस-प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो या एलेक्टेड हो यह तीन महीने के अन्दर फिर हो जाय, उसको लम्बा करने

की क्या जरूरत है। इसीलिए मेरा 12वाँ संशोधन है विदिन श्री मंथस वहाँ रख दिया जाय।

दूसरा संशोधन जो 13वाँ है उसमें यह कहते हैं :

"Members of the Central Council shall be eligible for re-election or re-nomination."

उसमें शैल के बाद नाट शब्द जोड़ दिया जाय। यह फिर नामिनेट करने की बात जो इसमें वेस्टेड इन्टेरेस्ट की बात आ जाती है। इसीलिए ऐसी जगह में फिर नामिनेट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ आप शैल के बाद नाट लगा दें कि शैल नाट वि एलिजिबल फार-री एलेक्शन आर री-नामिनेशन।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय मेरा संशोधन इसी क्लॉज 7 में है। इसमें यह है :

"The President, a Vice-President or a member of the Central Council shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination, as the case may be..."

मेरा कहना है कि इसे यहीं तक रहना चाहिए, इसके बाद के हिस्से की जरूरत नहीं है। हम डेफिनिट चाहते हैं कि पांच साल तक ही उनकी मियाद रहे और पांच साल पूरा होते ही एलेक्शन हो जाय। उसके आगे अगर मगर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की बात कही जायेगी जैसी कि आगे कही गई है तो इसका मतलब है कि पांच साल के बाद एलेक्शन नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं उसे सेफगार्ड करना चाहता हूँ। ऐसा आमतौर से हम अपने जीवन में देखते हैं कि कमेटियों की लाइफ इसी तरह से बढ़ती जाती है। इसीलिए यह बिल्कुल आवश्यक बना दिया जाय कि पांच साल के बाद एलेक्शन होगा ही। इस लिए मैंने कहा कि "वी" के बाद फुल-स्टाफ कर दीजिए। उसके बाद के जो शब्द हैं उनको हटा दीजिये, उनकी जरूरत नहीं है।

SHRI B. S. MURTHY : I cannot accept the Amendments.

MR. CHAIRMAN : I will now put the Amendments Nos. 12, 13 and 30 to the vote of the House.

Amendments Nos 12, 13 and 30 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That Clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8—(Meetings of Central Council)

MR. CHAIRMAN : Shri S. C. Jha is moving Amendment No. 14.

SHRI SHIV CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 4, line 33,—

add at the end "unanimously" (14)

यह एक छोटा सा संशोधन है, जिसको ये मान सकते हैं, लेकिन यह तो प्रेस्टिज की बात है, कैसे मानेंगे। इस क्लॉज में कहा गया है—

Provided that no decision of the Central Council in relation to Indian medicine or Homeopathy shall be effective unless three member representing Ayurveda, Siddha, Unani or Homeopathy system of medicine, as the case may be, are present at meeting and support the decision.

मान लीजिये एक आदमी सपोर्ट करता है, दो नहीं करते हैं, तब क्या होगा ? इसीलिए मैंने वहां "यूनैनिमसली" शब्द को जोड़ा है, जब तीनों सर्व-सम्मति से समर्थन करें, तब उस फैसले को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आज गांव सभाओं की बात चल रही है, आप कहते हैं कि वहां सर्व-सम्मत काम होना चाहिए, तो यहां क्या दिक्कत है। उसमें पढ़े-लिखे लोग होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

SHRI B. S. MURTHY : Insisting o

unanimity is to dilute the decisions. I am not accepting the amendment.

MR. CHAIRMAN : I will now put the Amendment No. 14 of Shri S. C. Jha to the vote of House.

Amendment No. 14 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9—(Committees for Ayurveda, Siddha and Unani)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am not moving my amendment.

MR. CHAIRMAN : Shri S. C. Jha is moving. Shri Lobo Prabhu is absent.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am not moving.

MR. CHAIRMAN : Shri R. D. Bhandare, not here. Shri Hardayal Devgun, not here. Amendment No. 45 is the same as No. 15.

Shri S. C. Jha.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 4,

after line 38, insert—

"(d) a committee for Integrated Medicine" (15)

मैंने इस संशोधन में यही कहा है कि जहां आप कमेटी आफ आयुर्वेद कमेटी आफ सिद्ध, कमेटी आफ यूनानी बनाते हैं, वहां एक कमेटी आफ इन्टीग्रेटेड मेडिसिन्ज भी होनी चाहिए। यह बहुत अहम संशोधन है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आपस में कुछ बातें कर ली हैं, अगर आपस में बातें कर ली हैं, तब यहां चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको म्बर में ले जाइये, क्लॉज-वार्ड-क्लॉज चेम्बर में ही पास कर लीजिये, पांच मिनट में पास जायेगा। मैं पूछता हूं कि जिन्होंने इन्टीग्रेटेड

[Shri Shiva Chandra Jha]

मैडिसिन से पास किया है, वे वैद्य कहां जायेंगे? इसलिए इन्साफ का तकाजा है कि इन्टीग्रेटेड मैडिसिन की एक कमेटी की बात आप मान लें।

*SHRI J. H. PATEL (Shimoga) : Mr. Chairman, Sir, I have tabled my amendment with a specific purpose. In our country, we have Ayurveda, Siddha and Unani systems. There has been lengthy discussion in this House on the efficacy of these systems. In addition, there is also an integrated system of medicine. However, I am not going to dispute the efficacy or otherwise of it.

There are about 50 colleges in our country where this integrated system of medicine is taught and there are about 50,000 practitioners who have qualified in the integrated system of medicine. I am pleading on behalf of these people as their interest is of vital importance.

If the Government is going to give an assurance that their interest would be safeguarded, I will not press my amendment. But as things stand, I do not think so. Hence I am urging the Government to accept my amendment.

MR. CHAIRMAN : I shall now put amendment No. 15 moved by Shri Shiva Chandra Jha to the vote of the House. Those in favour may kindly say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS : 'Aye'.

MR. CHAIRMAN : Those against may kindly say 'No'.

SEVERAL HON. MEMBERS : 'No'.

MR. CHAIRMAN : The 'Noes' have it

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : The 'Ayes' have it इस पर डिबीजन होना चाहिए।

सभापति महोदय : जो इस अमेंडमेंट के पक्ष में हैं, वे खड़े हो जायें।

श्री शिव चंद्र झा : सभापति महोदय, ऐसा नहीं हो सकता, जब डिबीजन मांगा जाता है तो बटन से डिबीजन करावें।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं होगा। रूलज के मुताबिक दोनों तरह की पद्धतियां अख्तियार की जा सकती हैं, जो इसके फेवर में हैं, वे खड़े हो जायें।

श्री शिव चंद्र झा : सभापति महोदय ***

सभापति महोदय : ये जो बोलने हैं, उसको रिकार्ड मत किया जाय।

Shri Shiva Chandra Jha then left the House.

श्री सु० झ० खां (कासगंज) : सभापति महोदय, इन्होंने अभी चेयर के खिलाफ जो कुछ कहा है, उसको रिकार्ड से निकाला जाय।

सभापति महोदय : हमने रिकार्ड से निकाल दिया है।

MR. CHAIRMAN : I am now putting amendment No. 15 to the vote of the House.

Amendment No. 15 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

*The original speech was delivered in Kannada.

***Expunged by order of the Chair.

Clauses 15 and 16 were added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

16.00 hrs.

Clause 22— *Minimum Standards of Education in Indian Medicine).*

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move :

Page 9, line 9,—

after "medicine" insert—

"along with adequate knowledge of modern human anatomy, physiology, medicine including preventive medicine, surgery and midwifery gynaecology" (40)

मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है कि वे इन सारी बातों को भी जानें। औरतों की बीमारियों और मर्दों की बीमारियों की सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। अगर उनको इसकी सारी जानकारी नहीं होगी तो वह ठीक इलाज नहीं कर पायेंगे। जब आप कोई एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवश्यक है कि उनको इन बातों की जानकारी हो—इन बीमारियों की जानकारी और शरीर से सम्बन्धित तमाम बातों की जानकारी उनको होनी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे उनको इन बातों से अलग क्यों रखना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो कि एक किताब पढ़ लेते हैं और इलाज करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनके इलाज का उल्टा असर होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बातों को भी आप उसमें शामिल कर दीजिये ताकि आपका यह क्लॉज बिल्कुल दुस्त हो जाये और उन लोगों का एक मिनिमम स्टैंडर्ड बन जाये और फिर लोगों को किसी प्रकार का कोई खतरा उठाना न पड़े। नीम हकीम खतरे जान वाली बात दूर हो जाये—इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

SHRI B. S. MURTHY : I wish I could accept Shri Ramavatar Shastri's amendment. My respectful Ramavatar is always great. But unfortunately his amendment does not throw any fresh light because these courses are already being taught; secondly, we must leave these things to the Central Council that is going to come to look after.

Therefore, I request you to kindly withdraw his amendment.

MR. CHAIRMAN : I put amendment No. 40 to the House.

Amendment No. 40 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 22 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 22 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : There are no amendments to clauses 23 to 25. The question is :

"That clauses 23 to 25 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 23 to 25 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 26 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 26 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : There are no amendments to clauses 27 to 32. The question is :

"That Clauses 27 to 32 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 27 to 32 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 33 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 33 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That Clauses 34 and 35 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 34 and 35 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That Clause 36 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 36 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the First Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the Second Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Second Schedule was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the Third and Fourth Schedules stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Third and Fourth Schedule were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That Clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI B. S. MURTHY : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That the Bill be passed."

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि आज देर ही में क्यों न सही, 23 साल के बाद सरकार ने भारतीय दवाइयों के लिए एक सेन्ट्रल काउन्सिल का निर्माण किया। 23 साल तक यह मामला रद्दी में पड़ा हुआ था। मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद सरकार केवल कौंसिल बना करके चुप नहीं बैठ जाएगी, बल्कि और भी चीजों के करने की जरूरत है जिनके बारे में विशेष कदम उठायेगी। विशेषतः फंड के बारे में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बात का आश्वासन दें कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के लिए और अधिक पैसा देंगे, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के लिए उन्होंने जितना पैसा दिया है उसके मुकामले में और दूसरी पद्धतियों के लिए उतना पैसा नहीं दिया गया है।

तीसरी बात मुझे रिसर्च के बारे में कहनी है। आपने करोड़ों रुपया अंग्रेजी दवाइयों की रिसर्च पर खर्च किया, लेकिन हिन्दुस्तानी दवाइयों पर कोई भी रिसर्च नहीं की, पब्लिक सैक्टर में कोई कारखाना ऐसा नहीं है जो हिन्दुस्तानी दवाइयाँ बनाता हो। आपने करोड़ों रुपया अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर खर्च कर दिया, बरबाद किया लेकिन भारतीय दवाइयों का एक भी कारखाना पब्लिक सैक्टर में सरकार द्वारा निर्मित नहीं किया गया। आज अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद की शुद्ध दवाई लेना चाहता है तो वह बाजार में नहीं मिल सकती जिसका परिणाम यह है कि रोगी ठीक नहीं होता और लोगों की अश्रद्धा आयुर्वेद पर हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए सरकार का फर्ज है कि पब्लिक सैक्टर के अन्दर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ बनाने का कारखाना सरकारी तौर पर खोले और उसमें रिसर्च भी करे। यद्यपि हमने अपना संशोधन वापस ले लिया है लेकिन मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि

जो काउन्सिल बनेगी वह केवल पार्टी बाजी का भ्रमाड़ा न हो। मैं चाहूंगा कि आईंदा जो लोग इसके मेम्बर बनें, जो लोग रेगुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ते नहीं हैं उन लोगों को बेकार सर्टिफिकेट दे करके प्रैक्टिस करने की इजाजत न दी जाय वरना इस तरह से आयुर्वेद का अपमान होता है। इसी लिए जो लोग रेगुलर इंस्टीट्यूशन में हैं, जिनको अस्पतालों की ट्रेनिंग है ऐसे ही लोगों को डिग्री दीजिये। माडर्न मेडिसिन के आप कितने ही डाक्टर रखें, हिन्दुस्तान में जहाँ 50 करोड़ आबादी है, जहाँ गरीबी है बहुत और लोग गांवों में दवाई की सुविधा न होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में मरते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आयुर्वेदिक यूनानी दवायें सस्ते दामों पर उपलब्ध होनी चाहियें।

मैं चाहूंगा कि सरकार इन दवाओं को बनाये और सबसिडाइज भी करें ताकि गांवों में लोग उसका उपयोग करें और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको गांवों सरकारी तौर पर सरकार नौकरी दे और उनको उसी तरह की सुविधायें दे जैसी डाक्टरों को देती है।

श्री मु० अ० खां : सभापति जी, कभी-कभी गुप्ता जी सही बात कहते हैं। जितनी बातें उन्होंने कही हैं मैं उन सबका समर्थन करता हूँ। माननीय इसहाक सम्भली के जवाब में मन्त्री जी ने कहा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं वरता जाएगा, सबके साथ इन्साफ होगा। बहरहाल, जब हाउस में मन्त्री लोग बयान देते हैं तो वह एक अच्छा बयान होता है, मगर हकीकत यह है कि नीचे का ढांचा आज तक इनके कंट्रोल में नहीं रहा और न आशा है कि यह नीचे के ढांचे पर कंट्रोल रख सकेंगे। जिस तरह का भेदभाव पहले वरता जाता था वही आज भी वरता जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि तीन काउन्सिलें बनायी जायें, यूनानी की अलहदा, आयुर्वेद की अलहदा और सिद्ध की अलहदा। उसकी

वजह यह है कि 23 साल के अन्दर तीन एड-वाइजर्स आफ इंडियन मेडिसिन मुकर्रर किये गये, तीनों बंध थे। एक भी यूनानी हकीम आज तक मुकर्रर नहीं किया गया। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल नहीं है? सरकार डिस्पेंसरीज खोलती है जिसमें 58 एलोपैथी की, पांच आयुर्वेद की और दो होम्योपैथी की डिस्पेंसरीज हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आज तक एक भी यूनानी डिस्पेंसरी खुली है? इसके अलावा मिलैक्ट कमेटी का डेप्यूटेशन जांच करने के लिए गया जिसने अयुर्वेदिक कालेज और दूसरे कालेज की जांच की। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसी यूनानी कालेज की भी जांच की? मेरा खयाल है कि जिस तरह 23 साल तक यूनानी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वरता गया उसी तरह काउन्सिल बनने के बाद भी एक सैक्शन आफ इंडियन मेडिसिन के साथ डिस्क्रिमिनेशन वरता जाएगा। और आप चाहे यकीन कितना ही दिला दें लेकिन यह मामला आप के कंट्रोल के बाहर है। मुझे यकीन है कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय हम लोगों को धोखा देने के। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आप तीनों सिस्टम्स के लिए काउन्सिलें बनायें तभी यूनानी के इंटरैस्ट को सेफ गार्ड किया जा सकता है वरना जो ढांचा है उसमें आपकी तसल्ली बेकार है, आप कुछ नहीं करेंगे और जिस तरह का बिल लाये हैं उससे आप यूनानी दवाइयों के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोक नहीं पायेंगे।

श्री बेरी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति जी, उर्दू में एक कहावत है कि देर आयद, दुस्त आयद। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम स्वतंत्रता के चाहे 23 वर्ष बाद ही सही इस सरकार ने एक अच्छा काम तो किया। कुछ लोगों ने कहा कि इस जैट युग में बैल गाड़ी का क्या काम। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ

[श्री वेणी शंकर शर्मा]

तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है उसकी बँलगाड़ी से तुलना नहीं की जा सकती। इसकी तुलना अगर हो सकती है तो जैट से ही हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान-सम्मत और उदार है उतनी और कोई प्रणाली नहीं है। एलोपैथी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन उसमें वही पैनिंसिलीन हर एक रोग को बि। आयु, देश और काल को देखें बेंते रहते हैं। सल्फा ड्रग्स का रोगी पर क्या असर होगा उसको कोई नहीं देखता। लेकिन हमारे आयुर्वेद विशारद वंच ऐसा नहीं करते। वह आयु, देश, काल एवं परिस्थिति को देखकर ही रोग का निदान एवं उसका उपचार करते हैं। इसलिए हमारे देश के लिए आयुर्वेद-पद्धति जितनी उपयुक्त है उतनी और कोई पद्धति नहीं हो सकती।

जो बातें माननीय कंवर लाल गुप्ता ने कही मैं उनका समर्थन करता हूँ। अभी हमारे यहां गांवों में 90 प्रतिशत लोग रहते हैं। किन्तु आज एलोपैथी के जितने डाक्टर हैं वे 90 प्रतिशत शहरों में रहते हैं इसलिए राजी से कहिए या बेराजी से, देहात के लोगों को आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों पर ही निर्भर करना पड़ता है। किन्तु सरकारी सहायता के बिना यह हमारे वंच और हकीम एक तरह से नेग्लेक्टेड हो गये हैं। मैं समझता हूँ कि इस बिल के पास होने के बाद उनको प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे ग्रामीण भाइयों को राहत।

जहां तक आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का सवाल है वे अच्छी नहीं मिलती हैं। आयुर्वेदीय औषधियां बनाने के देश में बहुत से कारखाने हैं और मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे भी कारखाने हैं जो दो-दो करोड़ २० की दवाइयां साल में बेचते हैं, किन्तु फिर भी हमें यह शक रहता है कि यह दवाइयां अच्छी मिलती हैं कि नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार के द्वारा कम से कम एक ऐसी सेन्ट्रल फैक्ट्री की

स्थापना की जाय जहां स्टैंडर्ड औषधियां बनाई जायें और जो सस्ते और उचित दामों पर लोगों को मिल सकें।

जहां तक एलोपैथिक दवाइयों में से कुछ अच्छी दवाइयों का सवाल है आयुर्वेद ऐसी दवाइयों को अपने दायरे में लेने से इन्कार नहीं करता। वह एलोपैथी और होम्योपैथी से भी ज्ञान लेता है और ले सकता है। जो ऐक्सपेंडिंग संस्थान होते हैं वह किसी चीज को अपने दायरे में लेने की राह में कोई रुकावट नहीं डालते।

अन्त में मैं फिर इस बिल का स्वागत करता हूँ। और सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह एक अच्छा काम इस सरकार ने किया है।

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili) : Sir, this Bill seems to be quite encouraging so far as the title goes. From the title, one gets the impression that the Government of India is going to do something big for the development, preservation, etc. of ayurveda and other Indian systems of medicine. But when one looks into the provisions of the Bill, one is disappointed. The only purpose of this so-called council is to bring about certain standards of education so far as the Indian systems of medicine are concerned. I think the challenge of the day is too big to be tackled in such a peremptory manner. Today ayurveda is at the vanishing point. Unless the Government of India patronises it, it will be liquidated soon. For the rural areas, Indian systems of medicine are the only hope. The M. B. B. S. doctors will hesitate to get to rural areas. The vaidyas who used to be there in the rural areas are also not getting patronage because the people are more enamoured of injections, etc. So, what is most important today is that the Government should encourage the science of ayurveda. For that purpose, this Bill does not contain anything. The Indian systems of medicine should be developed and a pride of place should be given to them, so that we can have such institutions in Indian systems like the All India Institute of Medical Sciences. Ayurveda is a scientific system and it should be preserved and

developed. For achieving this, I suggest that Government should broad-base the functions and powers of this council.

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने आजादी के बाद इस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया। वह भी धन्यवाद के पात्र है और वह लोग भी धन्यवाद के पात्र है, विशेषकर श्री शर्मा, जिन्होंने यूनानी आयुर्वेद और सिद्ध तीनों के बारे में जानकारी पैदा की है। यहां पर इस डर को भी दूर करना होगा कि कहीं ऐसा न हो जाय कि एक सिस्टम हावी हो जाये। ऐसा प्रयत्न करना होगा कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध तीनों पद्धतियों का विकास हो। यह तीनों पद्धतियां यहां की जनता के जीवन के साथ घुल मिल गई हैं, इसलिए यह तीनों पद्धतियां जो हैं उनका विज्ञान तरक्की करे दुनिया में जहां आज हर बात में कप्टीशन हो रहा है, यह सिस्टम तरक्की करें और जो कहावत है कि नीम हकीम खतरए जान उससे बचा जा सके। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध यह तीनों सिस्टम ऐसे हो जाये कि जनता को यह महसूस ही न होने पाये कि इन तीनों में कोई अलगाव है और वह ब्रिटिश सिस्टम आफ मेडिसिन की ओर न बढ़ जाये। हमारे देश की परम्परागत जो पद्धतियां हैं वह आगे बढ़ सके। इसी के लिए यह विधेयक लाया गया है और मैं मन्त्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

*SHRI J. H. PATEL : Sir, I am raising only one point on which I want an assurance from the Government. According to Pandit Shiv Sharma, it is not possible to integrate Ayurveda, Siddha and Unani systems with allopathy. I am not standing here to comment upon the possibility or otherwise of integrating these systems. I am pleading with the Government to give adequate security to the practitioners who have qualified in the integrated system of medicine. There are about 50 colleges in the country

where integrated system of medicine is taught and about 50,000 practitioners working in different parts of the country. I would like to know that Government is going to do safeguard their interest and to look after their future.

श्री इसहाक सम्भली : सभापति महोदय, मुझे नन्सोस है कि जिस वक्त यह बिल पास हो रहा है उस वक्त मिनिस्टर साहेब ने मेरी तरफ़ीम को मंजूर नहीं किया। जैसा मंत्री जी ने वादा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ, कि हिन्दुस्तान के इस तिब्बी सिस्टम के साथ, जिसको यूनानी भी कहा जाता है, कोई ना-इन्साफी नहीं होगी। ना-इन्साफी न होने की एक ही शकल है और मैं उस पर जोर दूंगा कि जो कमेटी बनाई जा रही है, जिनके बारे में आप ने कहा है कि वह अटोनोमस बाडीज होगी, वह इतनी अटोनोमस हों कि कोई दूसरी बाडी उनको दबा न सके। आज तो यह होता है कि अगर किसी बाडी में 100 मेम्बर हैं तो उनमें 98 मेम्बर एक तरह के होते हैं और दो यूनानी या तिब के होते हैं। इससे इस सिस्टम को इन्साफ नहीं मिल पाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो वादा किया है उसको निभायेंगे और ऐसा इन्तजाम करेंगे कि यूनानी के साथ ना-इन्साफी न हो सके और वह पूरी तरह से तरक्की कर सके।

(اسحاق سنبلی اور وہرہ - سہا جی مہوڈے - مجھے انٹرس ہے کہ جس وقت یہ بیل پاس ہو رہا ہے اس وقت مشرف صاحب نے میری تریسہ کو منظور نہیں کیا گیا۔ مشرفی نے وعدہ کیا ہے میں ازا میکرنا ہوں کہ ہندوستان کے اس ایسی م کے ساتھ جس کو یونانی بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ نا انصافی نہ ہونے کی ایک ہی شکل ہے اور میں اس پر زور دوں گا کہ جو کئی یونانی جا رہا ہے۔ جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ آٹونومس ہوگی۔ بروڈی ہوگی وہ اتن آٹونومس ہو کر کوئی دوسری بروڈی اس کو دبا نہ سکے۔ بروڈی ہوگی۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بروڈی میں 100 ممبر ہوں تو ان میں 98 ممبر ایک طرح کے ہوتے ہیں اور 2 یونانی یا طب کے ہوتے ہیں۔ اس سے اس ممبر کو انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو نہ نبھائیں گے۔ اور ایسا انتظام کریں گے۔ کہ یونانی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو سکے اور وہ بروڈی طرح سے ترقی کر سکے۔]

*The original speech was delivered in Kannada.

श्री अश्वलु गनी डार (गुडगांव) : सभापति महोदय, तमनाओं में उलझाया गया हूँ, खिलीने दे के बहलाया गया हूँ। मेरे काविलतरीन दोस्त और हिन्दुस्तान के काविल नेता श्री के० के० शाह इस बिल को लाये हैं, लेकिन बदनसीबी यह है कि यहां पर काम ठीक तरह से नहीं होता है और इल्म की पूरी इज्जत नहीं होती। मैं बतलाऊँ, एक बार एक अमरीकन डाक्टर यहां तजुर्बा करने के लिए आया कि हिन्दुस्तान के जो डाक्टर और हकीम हैं उनमें कोई काविलियत भी है या नहीं। वह हकीम अजमल खां के वालिद साहब के दवाखाने में गया और अपने को दिखलाया। उन्होंने देखकर नुस्खा लिख दिया। जब उसने दवा ले ली और दाम पूछा तो पता चला 4 पैंसा। उसको बड़ी हैरत हुई कि दवा का दाम चार पैंसा। वह दुबारा लाइन में जा कर खड़ा हो गया। हकीम साहब ने कहा कि तुमको तो मैंने देख लिया, तुमको बीस साल हुए सांप ने कांटा था। अमरीकन डाक्टर ने कहा कि सांप ने तो कांटा था यह तुमने मालूम कर लिया, लेकिन यह कैसे पता लगाया कि बीस साल पहले कांटा था। उन्होंने जवाब दिया कि हिन्दुस्तान को खुदा ने दिमाग दिया है। अगर मैं उसका फायदा उठाता हूँ तो क्या हुआ ? हमारे मन्त्री महोदय हिन्दुस्तान के नेता रहे हैं और अब भी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यूनानी मुसलमान की नहीं है, यूनानी तिब्बत जो है वह हिन्दुस्तान की देन है। भले ही और जगह अरस्तु, मुकरात, बुकरात, अफलानून और लुकमान हुए हों, लेकिन हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने यूनानी तिब्बत की बड़ी खिदमत की है। लेकिन बदनसीबी यह है कि उर्दू और हिन्दी दोनों के एक होते हुए भी उर्दू को मुसलमान के साथ जोड़ा दिया गया और हिन्दी को हिन्दू के साथ जोड़ दिया गया। हालांकि हिन्दी भी हमारी है। रहीम खानखाना से बेहतर हिन्दी किसी ने नहीं लिखी। इसी तरह से जो यूनानी तिब्बत है उसकी हिन्दुस्तान

में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने खिदमत की, लेकिन यूनानी का नाम मुसलमान के साथ जोड़ दिया गया।

मैं मौलाना सम्भली के साथ इत्तफाक करता हूँ कि कुछ मसलमान ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं लेकिन उनके नाम के साथ कोई भी चीज नस्ब कर दी जाती है। अगर आप आज यूनानी को इग्नोर करते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह कोई मुसलमानों के साथ बेइन्साफी करने का सवाल नहीं है, यह तो एक साइन्स की बात है। आप यूनानी तिब्बत को भी उसी तरह समझें। यह हिन्दू मुसलमान सिख सबकी मिली जुली खिदमत है और इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। हमदर्द दवाखाने की हिन्दुस्तान में मिसाल रहेगी। उस तरह की और दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। आयुर्वेद तो मेरे बाप दादों के वक्त से ठीक से चला आ रहा है, लेकिन हम दर्द की कोई मिसाल और नहीं दी जा सकती, जिसने मुल्क की इतनी खिदमत की हो।

मेरा यकीन है कि श्री के० के० शाह बड़े काबिल लीडर रहे हैं वह हिन्दू और मुसलमानों के नाम के शिकार नहीं होंगे। वह हिन्दुओं और मुसलमानों को खुश करने की बात नहीं सोचेंगे। इस तरह की बात से हिन्दू और मुसलमान उनको वोट देने वाले नहीं हैं।

۱۰ شری عبد الغنی ڈار (گوٹھا ڈوں) سہا پتہ مہر دے سے
تھاڑوں میں اچھا یا گیا ہوں : کھونے دے کے پہلا یا گیا ہوں
میرے قابل ترین دوست اور ہندوستان کے قابل نیشا شری کے کہنا
اس بل کو لائے ہیں۔ لیکن مدھیوں سے کہیں پر کام ٹھیک سے نہیں ہوتا
۴ اور ملکی بھری عزت نہیں ہوتی۔ میں تھاڑوں میں ایک بار ایک امریکن ڈاکٹر
میں فرم کرنے کے آئے کہ ہندوستان کے جڑ ڈاکٹر اور حکیم ہیں ان میں
کوئی قابلیت نہیں ہے یا نہیں۔ وہ نیکر اہل مغاں کے والد صاحب کے دو اہل خانہ
کی اور اچھے کو دکھایا۔ انھوں نے دیکھ کر نیکو لکھ دیا۔ جب اس نے دوا
لے لی اور دوا پر چھانت پتا چلا تا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ دوا
کا دامن ہے وہ دوبارہ لائیں میں جیکڑا ہوا۔ منجھ صاحب نے کہا کہ تم
کو تو میں نے دیکھ لیا۔ تم کو بیس سال ہونے سے پہلے کا تھا۔ امریکن ڈاکٹر
نے کہا کہ صاحب نے تو کہا تھا تم نے معلوم کر لیا میں نے کیسے پتا لگا لیا کہ
بیس سال پہلے کا تھا۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہندوستان کو خدا نے
دماغ دیا ہے۔ اگر میں اس کا غائزہ اٹھا تو میں تو کیا ہوا۔ جہاں سے

[श्री शिकरे]

कभी मेरा अन्दाजा गलत भी निकल सकता है और हो सकता है कि परमेश्वर हो और उसकी अब कृपा मेरे ऊपर न हो। ऐसे प्रयत्न में श्री शशि भूषण जी ने इंटेग्रेटिव कोर्स को और आयुर्वेद को सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ कि यह मिक्सचर नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद हमारी संस्कृति का अंग है। उसी तरह से यूनानी पद्धति हमारी संस्कृति का अंग है। उनमें अशुद्धता नहीं होना चाहिए।

श्री कार्तिक उराँव (लोहारडगा) : श्री शिव शर्मा जी आयुर्वेद के विषय में सदन में जो चीज लाए हैं बहस के लिए उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस विल को लाने के लिए मैं मन्त्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ।

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। हमारे जो हिन्दुस्तानी लोग हैं वे हिन्दुस्तानी जो चीजें हैं उनसे दूर भागते चले जा रहे हैं। हम दासता से आते हैं, कुछ समय पूर्व हम दासता के पंजे में जकड़े हुए थे, हमें स्वदेश भक्ति से वास्ता नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। हमें अपने देश की जो सम्पत्ति है, जो चीज हमारी है, उसको हमें दुनिया के नक्शे पर लाकर रखना होगा और जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक देश आजाद हो गया है, यह समझा नहीं जा सकेगा। मैं दूसरे देशों की बात जानता हूँ। वहाँ जो चीजें बनती हैं, उनको अगर कोई देश अपने यहाँ मंगाता है, मँडीसिन मंगाता है तो अपना लेबिल उस पर लगा कर अपने देश का लेबिल उस पर लगाकर बेचता है। अंग्रेजों की यह बात है, अमरीकनों की यह बात है, दूसरों की यह बात है। इंग्लैंड अगर कोई चीज अमरीका से मंगाता है तो अपना लेबल लगाकर बेचता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। एलोपैथी पर हमने हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं लेकिन आयुर्वेद की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं आदिवासी इलाके से आता

हूँ। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली जाती हैं। हमारे यहाँ एलोपैथी नहीं चलती है, वह वहाँ पहुँच नहीं सकती है। आयुर्वेद की दवाइयों का जबर्दस्त प्रचार होना चाहिए और हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में होना चाहिए और इसको पापुलराइज किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में हमें दिखा देना चाहिए कि हिन्दुस्ता में भी कोई चीज है जिसको दुनिया इस्तेमाल कर सकती है और उसकी ओर खिंची जा सकती है।

SHRI M. MUHAMMAD ISMAIL (Manjeri) : Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Government for bringing forward this good Bill.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एलोपैथी के डिप्लोमा या डिग्री होल्डरों को ग्रैंड मिलते हैं उसी तरह से आयुर्वेद और यूनानी के डिप्लोमा और डिग्री होल्डरों को मिलने चाहिए। दोनों के एक ही ग्रेड होने चाहिए और चैनल्ज आफ प्रोमोशन भी दोनों के एक समान होने चाहिए।

श्री फ० गो० सेन (पूरिया) : यह खुशी की बात है कि हाउस इस बिल को पास करने जा रहा है। हम लोग इससे सहमत हैं। हमारे पिता कभी कवि थे। हमारे भाई भी कविराज थे। दोनों गुजर गए हैं। आयुर्वेद की दवाओं में जो ताकत है उसकी तुलना एलोपैथिक से नहीं की जा सकती है। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ के डाक्टर लोग जिस मरीज को इंजेक्शन देने से डरते थे और समझते थे कि इसको इंजेक्शन दिया गया तो यह मर सकता है, उसको वे हमारे बाबू जी के पास या हमारे भाई साहब के पास भेज दिया करते थे और वह मरीज दस दिन की दवाई ले लेता था और उसमें कुछ स्ट्रेंथ आ जाती थी तब उसके बाद उसको इंजेक्शन दिया जाता था।

लेकिन मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाओं की आजकल जिस तरह से तैयार हो रही है, वह ठीक नहीं है और उस पर मैं अपनी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्री शिव शर्मा भी इसको देखें। अलग अलग फारमेशिया अपने ही नामों से आयुर्वेदिक दवायें बना रही हैं। अब च्यवन प्राश का अग्र नाम बदल दिया जाये तो इससे और ज्यादा बुरी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती है।

मैं हजारीबाग जेल में था तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थीं। यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि यह पता चल सके कि ये दवाइयाँ कितनी प्रभावकारी हो सकती हैं। जब भी मैं जेल जाता था तो हमारे पिता जी हमें तीन दवाइयाँ दे दिया करते थे। जनरल डैबिलिटी के लिए वह महा लक्ष्मी विलास दिया करते थे, बुखार के लिए आनन्द भैरव और पेट की शिकायत के लिए लवण गादिवटि। नतीजा यह होता था कि जितने दिन भी मैं जेल रहा चार साल के अन्दर-अन्दर मुझे कभी जेल के अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं हुई। जब भी इनमें से कोई तकलीफ होती थी, ये दवाएँ ले लिया करता था। एक दिन की बात है। पूर्णिया के एक और हमारे साथी जेल में आये। उनका नाम श्री स्वतीनाद मादरी था। उन्होंने एक जागरी नाम की किताब लिखी है बंगला में जिसके लिए उनको नेशनल एवार्ड मिला है। उनको जनरल डैबिलिटी थी।

हमने उनको महा लक्ष्मी विलास की एक गोली खाने को दी और वह ठीक हो गए। एलोपैथी की दवायें वह पन्द्रह दिन से ले रहे थे फिर भी फायदा न हो रहा था। लेकिन यहाँ एक गोली खाकर उनकी तकलीफ दूर हो गई। इससे पता चलता है कि कितनी प्रभावकारी इसकी दवाएँ हैं। इसको प्रोत्साहन देना आपका प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

***SHRI M. KAMALANATHAN (Krishangiri) :** Mr. Chairman. Sir, rightly or wrongly this Bill is in the final stage of getting passed. At this juncture, I would like to point out that among the three systems of Indian Medicine Ayurvedi, Siddha and Unani—in Tamil Nadu, Siddha system is considered to be the most efficacious and so it is quite popular there. I am afraid that in the Central Council Ayurveda might get preponderant representation. I would stress that the Government should safeguard against this and see that Siddha and Unani systems also get equal representations in the Central Council.

Mr. Chairman, Sir, in conclusion, I would like to draw the attention of the hon. Minister that under the label of Ayurveda medicines intoxicants are being sold in my State. I request that the Government should bring forward a legislation banning the sale of intoxicants under the label of Ayurveda medicines.

श्री शिव शर्मा (विदिशा) : पिछले बीस तीस साल में आयुर्वेद के रास्ते में बहुत सी हकावटें पड़ी। लेकिन मैं सरकार का बहुत कृतज्ञ हूँ कि बड़े सद्भाव के साथ वह इस बिल को लाई। अब तो किसी विरोधी के लिए भी मेरे हृदय में कोई विरोध नहीं है।

शिकवा न शिकायत न गिला कुछ भी नहीं है इस दिल में मुहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अब तो केवल कृतज्ञता ही मेरे हृदय में है।

मेरे मित्र ने जो उधर से कहा, मैं भी यही देख रहा हूँ कि आयुर्वेद को हिन्दू विज्ञान सिद्ध को तामिल विज्ञान और यूनानी को मुस्लिम विज्ञान समझा जाता है, यह बात होनी नहीं चाहिए और मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या सम्बन्ध है आयुर्वेद का यूनानी से। मैं तो केवल ऐतिहासिक बात करता हूँ, भावनुकता की बात नहीं करता हूँ। मुझे यह मालूम होता कि यह

*The original speech was delivered in Tamil.

[श्री शिव शर्मा]

विषय चलेगा तो मैं पत्र ले आता लाहौर से अपने हकीम दोस्तों के, जिस वक्त हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा था पाकिस्तान के हकीम मुझे उधर आने का आग्रह कर रहे थे, मैं पत्र में से दो-तीन वाक्य मुना देता हूँ, मैंने लिख दिया था कि मैं आ जाऊंगा। तो उनके शब्द हैं, एक हकीम साहब के—पंडित साहब, खुदा आपकी उम्र दराज करे। आपने नियाजमन्दों की दरखास्त कबूल फरमाई और लाहौर में आने का कसद किया। आपकी तशरीफ आवरी की खबर सुन कर लाहौर से सरगोधा तक मुसरत की लहर दौड़ गई यह उनके शब्द थे। मैं उन हकीमों के लिए हमेशा वहां पर लड़ा हूँ और यहां पर भी लड़ा हूँ। मुझे दुख है कि हमारे दोस्त हकीम अब्दुल लतीफ साहब का स्वर्गवास हो गया, वह चेयरमैन थे यूनानी रिसर्च कमेटी के। और मैं आपको बता दूँ अगर आप ध्यान से कांस्टीट्यूशन को देखेंगे तो पूरी समता पायेंगे, मैं आयुर्वेदिक कमेटी का चेयरमैन हूँ और हकीम अब्दुल लतीफ साहब भरहूम यूनानी कमेटी के चेयरमैन थे। कोई भी उनके और मेरे अधिकार में अंतर से कम नहीं था। वह बिल्कुल स्वतन्त्र थे। इस बिल के नीचे तीन कमेटीज बिलकुल अपनी-अपनी मालिक हैं। एक भी बँध बिलकुल दखल नहीं दे सकता यूनानी के फँसले में। वह फ्राटो-नामस है। आप हमारा यकीन कीजिए। मैं किसी छोटी चीज के ऊपर समझौता करने को तैयार नहीं था। पूरा अधिकार यूनानी का वही है, शत प्रतिशत। अब वह कितना रुपया आयुर्वेद को देंगे, कितना यूनानी को देंगे कितना एलोपैथी को देंगे, यह मसला दूसरा है। उस पर मैं इस समय जाना नहीं चाहता। इस वक्त मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कितना सुरक्षित है यूनानी हम लोगों के पास। यह चिट्ठी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की है, उनकी आफिशियल मुहर है और कौमुनेट जनरल की चिट्ठी है। यह सीरिया की है जहां कि

राजधानी दमिश्क है जहां यूनानी ने इतनी तरक्की की कि आप वहां की हिस्ट्री पढ़िये, उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों को हमारी सरकार ने, मूर्ति साहब ने ज्यादा से ज्यादा पद्म-भूषण दे दिया लेकिन अपने हकीमों को उन्होंने जागीरें ही नहीं दीं वल्कि फस्ट क्लास कनीजें भी साथ में दीं जो कि कभी आपसे मिलने वाली नहीं हैं हम लोगों को। ईराक में जिसकी राजधानी है बगदाद, जहां खलीफा हांरू-अल-रशीद और अल मंसूर ने आठवीं सदी में यूनानी ग्रन्थों का और आयुर्वेद के ग्रन्थों का अनुवाद कराया और जहां यूनानी की नींव पड़ी, यह इनके सबके आफिशियल पत्र हैं, मैंने उनसे आंकड़े मांगे थे कि कितना आपका बजट है, कितने आपके कालेजेज हैं, तो इन सबका एक ही जवाब है कि यहां यूनानी बिलकुल नहीं है और सब खत्म है। यही उत्तर ईरान का, यही ईराक का, यही ईजीप्ट का, यही सीरिया का, यही कुवैत का है। कुवैत ने मुझे आफिशियल इनविटेशन भी दिया हुआ है। मेरा उनके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। भारत में आयुर्वेद समाप्त नहीं हुआ है और उन्होंने तो यूनानी को बिलकुल ही समाप्त कर दिया। और मैं बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि यूनानी हिन्दुस्तान में यदि समाप्त नहीं हुईं वह केवल इसलिए कि आयुर्वेद ने उसको खत्म नहीं होने दिया। आयुर्वेद खत्म हो जाता तो यूनानी का नाम ढूँढने से नहीं मिलता। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक सरकार मेरी बात सुनती है, और इस वक्त की सरकार सुनती भी है, पहले सरकार बिलकुल ही विरोध करती थी, जब यूनाइटेड नेशंस ने मुझे सीधा बुला लिया सरकार के सिर के ऊपर से तो यहां से एक अफसर साथ भेजा गया जिसने एक-एक डाक्टर को पकड़-पकड़ कर वहां यूनेस्को में कहा कि इमका नो वहां कोई स्टेट्स ही नहीं, इसको आपने सीधे क्यों बुला लिया? गवर्नमेंट में इसकी कोई जगह नहीं। और कोई

दूसरा काम उसने नहीं किया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों की अपनी महत्ता है और हमको डरने की आवश्यकता नहीं है यूनानी को और आयुर्वेद को। हम अग्रर जिन्दा हैं तो किसी ने मेहरबानी कर के हमको जिन्दा नहीं रखा। हम तो एक टेक आफ चाहते थे, इस बिल से इतनी ही मदद चाहते थे कि एक दफा हवाई जहाज को घक्का लग जाये। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और यहां पर यह बात कही गई है कि यहां आश्वासन दे देते हैं और आगे वह आश्वासन पूरे नहीं करते मेरा तो अनुभव है कि शाह साहब ने जितने आश्वासन मुझको दिए और मूर्ति साहब ने जितने आश्वासन दिए उन्होंने सारा जोर लगा दिया उनको पूरा करने का, इनके लिए तो मैं जब तक यह अधिकारी है अधिकार से कह सकता हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर, कि किसी प्रकार का भय आश्वासनों के भंग हो जाने का नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस बिल के लिए ही मैं यहां आया था। मैं समझता हूँ कि अब कोई भाषण मैं आपके ऊपर नहीं थोपूंगा। मैं कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक शेर अन्त में फिर कहता हूँ उन सबके लिए जिन्होंने मदद की है कि :

तुम सन्नामत रहो कयामत तक,
और दुआ है कि कमायत भी न हो।

SHRI B. S. MURTHY : Sir, I do not think from the first Parliament to this Parliament, any other Bill has received so much popular enthusiasm as this Bill in the Third Reading. It is because everybody who is patriotic has been feeling sorely about the plight of Ayurveda, Unani and Siddha systems. Today, this Bill gives the same status to these Indian medicines as is enjoyed by the modern medicine, allopathy. In this Bill what has been attempted is to give a status which will make Ayurveda, Unani and Siddha equal with the Allopathic system.

As Shri Shiva Sharma has said, the three Committees are autonomous. I claim and India claims Unani as Indian. As Dr. Melkote said, it is only in India that Unani being given an equal status with the modern medicine and nowhere else in the other countries of the world. It is true.

Some hon. friends said, what will be the use of this Bill, if we don't do anything to promote and to improve the systems of Ayurveda, Unani and Siddha.

For the information of the hon. Members, I would say, this, that today there exists a Central Council of Research for Indigenous Medicines, and also Homoeopathy. For this we have allocated Rs. 4 crores and today there are 131 Research Centres all over the country.

This Bill tries to give full development for the systems of Ayurveda, Unani and Siddhi. For me it is a matter of personal satisfaction also, because 32 years ago, when the Madras Government, under the Adviser's regime were about to abolish the School of Indian Medicines, I fought with the Advisers there, with not much success. But, fortunately today, I am able to pilot this Bill which will make the Ayurveda, Unani and Siddha systems become equal with other modern systems.

I am grateful to the hon. Members who have participated in this Debate and who have given their support.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्राड़ा) : यह तीनों सीया हो जाते हैं।

SHRI B. S. MURTHY : I would like to reply to that. Unani, Ayurveda and Siddha systems will become 'Prasiddhas' in the world. I am grateful to the Members for thanking the Government as well as the hon. Minister, Mr. Shah, my colleague. After all, I am a humble soldier. I must thank all the Members who have cooperated and given us their support. I only request that this Bill passed by Rajya Sabha may be passed here without any amendments. Thank you

I beg to move :

"That the Bill be passed :"